संख्या-**1229**/2026/760/22-2-2026-17(109)/2016

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2026

विषय:-आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त, निवासी जनपद-गोरखपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त, इन्दरानगर थाना-कैण्ट, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा ठेकेदारी में पैसों के हिसाब-किताब को लेकर दिनांक 30.03.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-297/2002 में धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, गोरखपुर के दण्डादेश दिनांक 06.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2012 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-20.03.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 02 माह, 07 दिन तथा 15 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 20.03.2025 तक लगभग 52 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी ज्ञानप्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.03.2025 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 20.03.202**5** तक अपरिहार 12 वर्ष, 02 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी की स्वास्थ्य की दशा स्वास्थ्य होने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान प्रकाश उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-17136) पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवासी जनपद-गोरखपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-**1229**/2026/760(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।